



रा.रा. श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र०

R 555 P/B/16

साई सिटी रहवासी संघ

तर्फे सीयाराम पथरिया पिता हरिभजन पथरिया

निवासी एस.-22 साई सिटी कॉलोनी

कस्बा महुगांव तह. महु जिला इंदौर

... रिबीजनकर्ता

विरुद्ध

1. एक प.ह.नं. 4/1 महुगांव

तह. महु जिला इंदौर

... प्रतिप्रार्थी

रिबीजन याचिका अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू० राजस्व संहिता

रिबीजनकर्ता के द्वारा यह रिबीजन याचिका अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय अंबेडकरनगर महु के द्वारा प्र.क्र. 4/अ68/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25.1.2016 से पीडित होकर प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

1. यहकि रहवासी संघ साई सिटी कॉलोनी महुगांव कस्बा महु तहसीलमहु जिला इंदौर के द्वारा एवं अन्य रहवासियों के द्वारा कॉलोनी में आने जाने के रास्ते को जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी एवं रहवासीगण पिछले 100 वर्षों से अधिक समयसे करते रहे है। किंतु रहवासीगण को धारनाका से गायकवाड गांव एवं महुगांव आने जाने के लिए बरसाती नाले में से होकर गुजरना पड़ता था इस कारण से उन्हें बारिश में आवागमन की गंभीर समस्या उत्पन्न होती थी। जिसके परिणाम स्वल्प रहवासी संघ तथा ग्रामीण जनता के द्वारा रुपये इकट्ठा कर स्थानीय निकाय नगर पंचायत महुगांव / धारनाका से अनुमति प्राप्त



साई सिटी रहवासी संघ
16.2.16

16.2.16


Dehshandi
16/2/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला इंदौर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 555/पीबीआर/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, इंदौर को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 30.05.2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>उभय पक्ष सूचित हो।</p>	<p> अध्यक्ष</p>